GC

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर
स्टेट प्रोग्राम कमेटी (एन.सी.डी./टोबेको कन्ट्रोल)

कमांकः– NCD/TC/09 दिनांकः–

–:आदेशः–

निर्देशानुसार स्टेट टोबेको कन्ट्रोल सैल के अन्तर्गत सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम की कठोरता से पालना हेतु स्टेट नोडल ऑफिसर के दिशा निर्देशन मे जयपुर शहर के विभिन्न सार्वेजनिक स्थलो पर धुम्रपान निषेध एवं विद्यालयो के आस पास 100 गज की परिधि मे तम्बाकू उत्पादो के विकय, तम्बाकू उत्पादो पर सचित्र स्वास्थ्य चेतावनी की जॉच करने हेतु एक कमेटी का गठन किया जाता है।

उक्त कमेटी मे निम्नांकित सदस्ये होगे जो आकस्मिक निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन स्टेट नोडल ऑफिसर को प्रस्तुत करेंगे।

1	डॉ0 पी0सी0 सन्तीया, संयुक्त निदेशक(चि0प्र0) निदेशालय मुख्यालय राजस्थान जयपुर।
2	डॉ0 बी0एन0 शर्मा, चि0अ0 एन.सी.डी. सैल निदेशालय मुख्यालय राजस्थान जयपुर।
3	श्री बी.एन. शर्मा, राज्य खाद्य निरीक्षक निदेशालय मुख्यालय राजस्थान जयपुर।
4	सदस्य, कट्स कार्ट डी–222 बनीपार्क जयपुर।
5	सदस्य, आर0वी0एच0ए0 ए–12 बी बजाज नगर जयपुर।

– sd –
(डॉ. डी.के. आमेटा)
अति. निदेशक (चि.प्र.)एवं
स्टेट नोडल अधिकारी
(एन.सी.डी./टोबको कन्ट्रोल)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान, जयपुर

कमांकः– NCD/TC/09/155 दिनांकः– 30.06.2009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग राज0 जयपुर।
2. डॉ0 विनायक एम.प्रसाद. निदेशक स्वास्थ्य एवं प.क. मंत्रालय भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
3. निजी सहायक, निदेशक (एड्स) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
4. समस्त कमेटी के अधिकारियों/कर्मचारियो/प्रतिनिधियो को आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ।

(डॉ. डी.के. आमेटा)
अति. निदेशक (चि.प्र.)एवं
स्टेट नोडल अधिकारी
(एन.सी.डी./टोबको कन्ट्रोल)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान, जयपुर

DAK-RECEIVED
18 JUL 2009